राजस्व लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री मांगीलाल रेगर , आर.ए.एस.
केम्प आकोला कलां

प्रकरण संख्या–02 / 2018 दिनांक 11–06–2018

उनवान

1. मु0 देवलीबाई पत्नी भेरा जटिया वयस्क निवासी गाडरियों का मोहल्ला आकोला कलां तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

.....अपीलान्ट

।। बनाम ।।

1. ग्राम पंचायत आकोलाकंला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत आकोलाकलां तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. बगदीबाई पुत्री भेरा जटिया वयस्क निवासी गाडरियों का मोहल्ला आकोला कलां तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

..... रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तरकण संख्या 1403 दिनांक 21.11.2011
उपस्थित– श्री उदयलाल गाडरी वकील अपीलार्थी

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत आकोला कलां द्वारा ग्राम आकोलाकलां के नामान्तरण संख्या 1403 पर पारीत निर्णय दिनांक 21.11.2011 से असंतुष्ठ होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई कि : वाके मौजा आकोलाकलां प0ह0 आकोलाकलां की खाता संख्या 176 की आराजी नम्बर 294, 295, कुल किता–2 कुल रकबा 1.6900 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 175 की आराजी नम्बर 296 रकबा 0.5300 हैक्टेयर स्थित है जिसकी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074, संवत् 2067–2070 अपीलार्थी का आधार कार्ड संख्या 823022929523, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र संख्या आर जे 19 / 124 / 543555, ग्राम पंचायत आकोलाकंला द्वारा जारी राशनकार्ड संख्या 00063 , भामशाह कार्ड आदि प्रस्तुत किये गये है । उपरोक्त वर्णित आराजीयात अपीलान्ट के पति एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पिता भेरा पिता टेका चमार निवासी आकोलाकलां के समय की चली आ रही है अपीलान्ट के पति भेरा का देहान्त हो जाने पर ग्राम आकोलाकंला द्वारा ना0क0 संख्या 1403

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:40:53 IST
Reason: SelfAttested

11.6.18
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner

दिनांक 21.11.2011 को खोला गया एवं सजरा बनाया गया उसमें अपीलान्ट का नाम देवलीबाई के स्थान पर धापूबाई दर्ज कर दिया और नामान्तरकरण फैसल कर दिया जबकि अपीलान्ट का नाम धापूबाई न होकर देवली बाई है और यही नाम अपीलान्ट के राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज चला आ रहा है अपीलान्ट देवलीबाई ही अपने पति स्व0 भेरा की विधवा पत्नी है और रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 भेरा की पुत्री है तथा भेरा के कोई नर संतान नहीं हुई । अपीलान्ट हाल ही में राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गई तो पता चला कि रेकार्ड में अपीलान्ट का नाम देवलीबाई के स्थान पर धापूबाई दर्ज हो गया तब अपीलान्ट ने नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन किया व नकले दिनांक 21.11.2017 को मिली और नकले मिलते ही अपीलान्ट ने अपने स्तर पर नाम सही कराने हेतु प्रयास किया परन्तु नाम सही नहीं हो पाया और अपील पेश करने हेतु सलाह दी गई इसलिए अपीलान्ट की ओर से यह अपील निम्न अधार बिन्दुओं पर पेश की गई है :–

क. यह कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलान्ट के पति भेरा की है और भेरा की शादीशुदा पत्नी अपीलान्ट देवलीबाई है और एक पुत्री रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 बगदीबाई है इनके अलावा भेरा के अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं है इस तथ्य की जानकारी ग्राम पंचायत को भी थी परन्तु अपीलान्ट के नाम के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं होने से त्रृटिवश सजरे में देवलीबाई के स्थान पर धापूबाई दर्ज कर दिया जबकि सही नाम देवलीबाई है इसलिये उक्त खोले गये ना0क0 मे धापूबाई के बजाय देवलीबाई दर्ज किया जाना न्यायोचित है ।

ख. यह कि भेरा की पत्नी का नाम देवलीबाई ही है तथा धापूबाई नाम की कोई विधवा पत्नी नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त ना0क0 पंजिका में अपीलान्ट का नाम देवलीबाई दर्ज किया जाकर धापूबाई नाम विलोपित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है और जो ना0क0 धापूबाई के नाम से खोला गया उसे निरस्त फरमाया जाकर देवलीबाई के नाम से ना0क0 तस्दीक किया जाना आवश्यक है ।

ग. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त ना0क0 खालने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और मनमकसूद तरीके से उक्त नामान्तरकरण खोल दिया है जो निरस्ती योग्य है ।

घ. यह कि अधिनस्त न्यायालय ने मौके कब्जे की कोई जानकारी नहीं की और अपीलान्ट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया इसलिए अपीलान्ट अपना पक्ष नहीं रख सकी और अपना सही नाम दर्ज नहीं करा सकी इसलिए उक्त नाम में त्रृटि हुई है ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा ना0क0 संख्या 1403 दिनांक 21.11.2011 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमाया जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:40:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक ... को राजस्व लोक अदालत केम्प आकोलाकंला में सुनवाई हेतु जरिये सूचना तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट उपस्थित । रेस्पोडेन्ट

11.6.18
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत आकोलाकंला द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया कि देवलीबाई पत्नि भेरा का नाम रिकार्ड में गलती से धापूबाई पत्नि भेरा जी हो गया है अतः उक्त में सुधार करते हुए देवली बाई पत्नि भेरा भविष्य में पढा जावे ।

बहस सुनी गयी । वकील अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भी अपील के तथ्यों पर स्वीकारोक्ति प्रदान करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है की देवलीबाई का वास्तविक नाम देवलीबाई ही है धापूबाई गलती से अंकन हो गया है जो सुधार किये जाने की आवश्यकता है ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तु त दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी का वास्तविक नाम देवलीबाई पत्नि भेरा जटिया है । धापूबाई नाम से मृतक भेरा के कोई वारिस नहीं है अधिनस्थ ग्राम पंचायत आकोलाकलां द्वारा ना0क0 संख्या 1403 दिनांक 21.11.2011 पर जो निर्णय पारित किया गया है वह काल्पनिक रूप धापूबाई एवं बगदीबाई के नाम निर्णीत किया गया है जबकि मृतक भेरा की पत्नि देवलीबाई एवं पुत्री बगदीबाई के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है । ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी जांच पडताल के उक्त नामान्तरण को काल्पनिक रूप से निर्णीत किये जाने की भूल की गई है । अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है अपीलार्थी का सही नाम देवलीबाई होने पुष्ठि भी स्वंय ग्राम पंचायत द्वारा की गई है । अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम आकोलाकलां का नामान्तरण संख्या 1403 दिनांक 21.11.2011 त्रृटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाता है । तहसीलदार भदेसर को निर्देशित किया जाता है उक्त नामान्तरण से संबंधित राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मौजा आकोलाकलां प0ह0 आकोलाकलां की खाता संख्या 176 की आराजी नम्बर 294, 295, कुल किता–2 कुल रकबा 1.6900 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 175 की आराजी नम्बर 296 रकबा 0.5300 हैक्टेयर में अंकित प्रविष्ठि धापूबाई पत्नि भेरा जटिया के स्थान पर देवलीबाई पत्नि भेरा जटिया दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित करवाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:40:53 IST
Reason: SelfAttested

11.6.18

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner